और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 235
जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।
14 माघ, 1942 (शक)

व्हाट्स-एप की गोपनीयता संबंधी नीति

235. श्री पी.सी. मोहन :
श्री तेजस्वी सूर्या :
श्री प्रताप सिम्हा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्हाट्स-एप की गोपनीयता संबंधी नीति में उन परिवर्तनों से अवगत है, जिनका अनुपालन करने के लिए व्हाट्स-एप तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ताओं से आग्रह कर रहा अथवा उन्हें विवश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों की निजता और हितों की रक्षा करने तथा किसी निजी तकनीकी फर्म द्वारा इसका दुरुपयोग होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावक व्हाट्स-एप की ओर से उक्त एकपक्षीय अनुबंध अथवा समझौता कानून के अंतर्गत वैध है और यदि नहीं, तो प्रस्तावक व्हाट्स-एप को उसके उक्त समझौते की शर्तों को बदलने अथवा उन्हें परिवर्तित करने का निदेश देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस बात को दृष्टिगत रखते हुए व्हाट्स-एप जैसे प्लेटफॉर्म 'मध्यवर्ती निकाय' की परिभाषा के क्षेत्र से बाहर हैं, क्या सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और/अथवा आईटी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश) नियम, 2011 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, ताकि इन्हें बेहतर तरीके से नियमित किया जा सके; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : और (ख): जी हां, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने व्हाट्स - एप को प्रस्तावित की गई निजता नीति के बदलवों की समीक्षा करने और इसके औचित्य की भी व्याख्या करने को कहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 43 क में व्हाट्स-एप सहित एक निगमित निकाय द्वारा एकत्रित की गई संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी हेतु सुरक्षित रखने का प्रावधान है।

व्हाट्स-एप सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्म, उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध की गई सृजित सामग्री प्रयोक्ता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित माध्यस्थ है। तदनुसार, व्हाट्स-एप को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 में विनिर्धारित सम्यक सावधानी बरते जाने के अध्यधीन है।

इसके अलावा, सरकार पहले ही संसद में निजता डाटा सरंक्षण विधेयक, 2019, पेश कर चुकी है जो वर्तमान में संसद की संयुक्त समिति के विचारधीन है। बिल में भारतीय नागरिको की निजता और हित की सुरक्षा का प्रावधान है।

(ग) : आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 से अपेक्षित है कि माध्यस्थों को अपने प्लेटफार्म पर निजता नीति, नियम और विनियम और निबंधन तथा शर्ते प्रकाशित करने की आवश्यकता है। प्लेटफार्म के प्रयोक्ताओं को माध्यस्थ सेवाएं प्रयोग करने के लिए इन निजता नीति, नियमों और विनियमों और निबंधन और शर्तो से सहमत होना पड़ेगा।

(घ): और (ड.): एमईआईटीवाई ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संशोधन पर कार्य शुरू किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ माध्यस्थों को और अधिक संवेदनशील और भारतीय प्रयोक्ताओ के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रावधानों को सख्त करना शामिल है।

****